प्रस्तावना

2017–21 की अवधि के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, "खनिज प्राप्तियों के मूल्यांकन और संग्रहण में प्रणालियों और नियंत्रणों" पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं, जो सितम्बर 2021 में सम्पन्न निष्पादन लेखापरीक्षा के क्रम में ध्यान में आये।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के अंतराष्ट्रीय संगठन के लेखापरीक्षा मानकों के आधार पर जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की गई है।